संख्या-1555 /77-6-24-6099/237/2023 पार्ट-1

प्रेषक,

अनिल कंमार सागर ,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री नरेश तेलगु,
चीफ आपरेटिंग आफिसर,
अडानी ग्रुप,
अडानी कारपोरेट हाउस, अहमदाबाद, गुजरात।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 20 जून, 2024

विषयः उत्तर प्रदेश के जनपद-सोनभद्र, मे 1500 मेगावाट क्षमता की ऑफ स्ट्रीम क्लोज्ड लूप पंप स्टोरेज परियोजना की सैद्धांतिक अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1223/77-6-2024-6099/237/2023 पार्ट-1, दिनांक 28.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में अडानी ग्रीन एनर्जी लि., टोरेंट पावर लि. व जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी प्रा.लि. की पीएसपी परियोजनाओं तथा समस्त सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं की समीक्षा हेतु सम्पन्न बैठक दिनांक 10 मई 2024 का कार्यवृत्त निर्गत किया गया है।

2 - मेसर्स अदानी ग्रीन एनर्जी लि. द्वारा सोनभद्र जनपद में 1500 मेगावाट की क्षमता वाली ऑफ स्ट्रीम क्लोज्ड लूप पम्प्ड स्टोरेज परियोजना की स्थापना प्रस्तावित है। परियोजना हेतु 13.22 एमसीएम एकमुश्त जल की आपूर्ति की आवश्यकता होगी। विद्युत निकासी हेतु बिहार के पुसौली, सासाराम में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. का 765/400 किलोवाट एआईएस की क्षमता वाला सब-स्टेशन प्रस्तावित है। परियोजना हेतु 236.05 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 230.25 हेक्टेयर वन क्षेत्र है तथा शेष 6.25 हेक्टेयर गैर-वन क्षेत्र है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹7463.64 करोड़ है। पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (प्री-फीसिबिलिटी रिपोर्ट) तैयार की जा चुकी है तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of reference -ToR) हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है। स्थलाकृतिक (Topographical) सर्वेक्षण, सतह मानचित्रण एवं उपसतह परीक्षण हेतु ठेकेदार को आबद्ध करना प्रक्रियाधीन है।

3- उक्त बैठक दिनांक 10.05.2024 में अडानी ग्रीन एनर्जी लि0 द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं

परियोजना के आनुषंगिक बिन्दुओं पर उपलब्ध करायी गयी तथ्यात्मक स्थित पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा परियोजना की स्थापना के संबंध में सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। तत्क्रम में प्रश्नगत परियोजना को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन एतदद्वारा सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की जाती है-

i. अडानी ग्रीन एनर्जी लि0 द्वारा इन्वेस्ट यूपी तथा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के समक्ष विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
ii. अडानी ग्रीन एनर्जी लि0 द्वारा उक्त परियोजना हेतु अपनी लागत एवं व्यय पर उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से नियमानुसार यथास्थिति आवश्यक भूमि की व्यवस्था स्वयं की जाएगी।
iii. राज्य सरकार से आवश्यक जल के आवंटन की प्रक्रिया के साथ-साथ पुनर्भरण के प्राविधान को भी सुविधाजनक बनाएगी। यद्यपि, निकासी की अनुमति केवल बाढ़ की अवधि में तथा उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार के सिंचाई विभाग के अनुमोदन के उपरांत ही प्रदान की जाएगी।
iv. अडानी ग्रीन एनर्जी लि0 को उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार की प्रचलित/विद्यमान नीतियों/नियमों/योजनाओं के अनुसार अनुमोदन/अनुमोदन प्राप्त करने में राज्य सरकार द्वारा सहायता की जाएगी। स्वीकृतियों को प्राप्त करने के लिए इन्वेस्ट यूपी को सूचित करते हुए संबंधित विभागों/प्राधिकरणों को आवेदन जमा करना अडानी ग्रीन एनर्जी लि0 का उत्तरदायित्व होगा।
v. अडानी ग्रीन एनर्जी लि0 द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) की गतिविधियां स्थानीय क्षेत्रों के लाभ के लिए संचालित की जाएंगी।
vi. परियोजना का विकास विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.04.2023 को इस विषय पर जारी पंप भंडारण के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु दिशा-निर्देशों के प्राविधानों के अधीन होगा।

भवदीय,

Signed by
Anil Kumar Sagar (अनिल कुमार सागर)
Date: 20-06-2024 13:20:51 प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई

दिल्ली-110001

2. निजी सचिव, सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 ।
3. मुख्य अभियंता, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, जल विद्युत परियोजना मूल्यांकन प्रभाग, सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 ।
4. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन/ राजस्व/ सिंचाई एवं जल संसाधन/ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी।
8. निदेशक, यूपीनेडा।
9. मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग, सेक्टर-21, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
10. प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र/आरक्षित वन प्रभाग, ओबरा, सोनभद्र।
11. आई.टी. सेल, इन्वेस्ट यूपी।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।